

पटवारी रिपोर्ट  
 श्रीमान् जो, माशी का नाम खवाता सं. 90 में रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 136 व रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 119 दामे हैं जो पारित रिपॉर्ट पिता की विरासत के जमा व माता की विरासत के रूपचन्द दामे हुआ है. परन्तु माशी के पददान दस्तावेजों में रूपचन्द पुत्र दोगा दामे हैं. अतः रकम सं. 90 में रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 136 व रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 119 के रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 5/36 दुरुस्त किया जाना उचित होगा।  
 26/11/25

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट  
 श्रीमान् पुत्रि के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती को सही है।  
 26/11/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 रिपोर्ट व हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक की जांच के आधार पर इन्द्राज की अभिलेख की जाती है।  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
 604  
 क्रमांक / 238

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 11/11/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रिपोल तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 90 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 5/36, रकबा रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 1/3 जाति - रंगर शैल कर्णर	229	0.02	रूपचन्द पुत्र दोगा दि. 5/36 शैल कर्णर	229	0.02



संज्ञांक :- 5195-96

दिनांक - 11/11/25

प्रतिक्रिया :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को जवाब देना

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर

श्री मोहन पन्नाबल